न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 195/2023 GCMS No.–2022/183

सुरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री गोकुल रैगर निवासी ग्राम रायसर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
..निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति आंधी, तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी रायसर, तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समित आंधी, तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी जिला जयपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 16.10.2009 जो अवैध तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है।

उपस्थितः–

1. श्री गुलाब चन्द अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, हनुमान शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्य 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.05.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत रायसर, हाल पंचायत समिति आंधी द्वारा विपक्षी संख्या 2 श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी रायसर, हाल तहसील आंधी जिला जयपुर के पक्ष में आदेश दिनांक 16.10.2009 के द्वारा पट्टा संख्या 10 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.11.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किये गये गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल रहे।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि ग्राम रायसर तहसील जमवारामगढ हाल तहसील जमवारामगढ में सार्वजनिक चिकित्सालय भवन एवं जलदाय विभाग वर्षो से संचालित है तथा उक्त दोनो सरकारी कार्यालय वर्तमान खसरा नंबर 391 में स्थित है जो कि पुराने खसरा नंबर 807 रकबा 69 बीघा 9 बिस्वा किस्म चारागाह से जरिये नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 19.11.1985 द्वारा 2 बीघा सिवाय चक भूमि में परिवर्तन किया गया। जिसके पश्चात खसरा नंबर 807 में 2 बीघा भूमि सिवायचक से आबादी भूमि (सार्वजनिक चिकित्सालय भवन) में परिवर्तित की जाकर नामान्तकरण संख्या 804 खोला गया। विवादित पट्टा संख्या 10 की भूमि अस्पताल के नाम की भूमि है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम सायपुर तहसील आंधी का मूल निवासी है एवं उसका राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूँ भी ग्राम पंचायत सायपुर से लिये जा रहे है। ग्राम सायपुर के खसरा नंबर 391 में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पट्टाधारी श्यामसुन्दर के पिता हनुमान सहाय पुत्र बद्रीनारायण के हिस्सा 1/8 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है इसलिए गैर निगरानीकार संख्या 2 भूमिहीन व्यक्ति नहीं है इसलिए ग्राम पंचायत रायसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम भूमि होने एवं ग्राम पंचायत का मूल निवासी नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निगरानीधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। कार्यालय पंचायत समिति आंधी जिला जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 12–13 जुलाई 2022 के बिन्दु संख्या 2 व बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से विवादित पट्टा संख्या 10 दिनांक 16.10.2009 को निरस्त योग्य माना है एवं तत्कालीन सरपंच एवं सचिव को दोषी माना है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा चाहने बाबत जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया उसमें 5 वर्षा से कब्जा बताया गया जबकि आदिनांक को विवादित पट्टे की भूमि मौके पर खाली है। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पट्टा पंचायत राज नियम 158 के तहत जारी किया गया है जबकि विवादित पट्टा नियम 167 के तहत जारी किया गया है। इस प्रकार विवादित पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने जो जांच प्रतिवेदन की फोटो प्रति प्रस्तुत की है वह प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही सिद्व हो जाती है कि जांच प्रतिवेदन दोषियो को बचाने के लिये तैयार की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस में जलदाय विभाग के तत्कालीन कर्मचारी किशनलाल गुर्जर ने कभी भी किसी आपत्ति नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किये स्वयं किशनलाल गुर्जर ने इस बाबत न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पट्टाधारी तत्कालीन सरपंच राममनोहर शर्मा का सगी पुत्रवधु का भाई है इस कारण सरपंच ने अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विवादित पट्टा जारी किया है। निगरानीधीन पट्टा पंचायत राज नियम 150 से 152 के तहत जारी किया गया किन्तु ग्राम पंचायत की कार्यवाही में ऐसा कोई रिकॉर्ड दस्तावेज ग्राम पंचायत की पत्रावली में नहीं है। विवादित पट्टे की भूमि सरकारी अस्पताल व जलदाय विभाग की है इसलिए ग्राम रायसर का प्रत्येक व्यक्ति हितबद्व व्यक्ति है इस प्रकार निगरानीकर्ता भी विवादित पट्टे से प्रभावित हितबद्व व्यक्ति है। इसलिए निगरानीकार ने निगरानी नियमानुसार प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की अवहेलना कर निरागनीधीन पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत रायसर के आदेश दिनांक 16.10.2009 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 श्याम सुन्दर शर्मा के हक में जारी पट्टा संख्या 10 निरस्त फरमाया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या दो द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। गैर निगरानीकार ने रंजिशवश माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है एवं निगरानीकार के भाई प्रहलाद ने गैश्र निगरानीकार संख्या 2 व अन्य लोगो के विरूद्ध झूठा प्रकरण एससी/एसटी एक्ट में दर्ज करवाया जिसमें अनुसंधान के बाद प्रकरण झूठा मानकर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अंतिम प्रतिवेदन की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। निगरानीकार द्वारा अपने भाई प्रहलाद से साज कर गैर निगरानीकार संख्या 2 पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से निगरानी पेश की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को निरस्त किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं है। निगरानीकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य अनुचित है। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 2 के आवेदन पर पुनः विकास अधिकारी पं.स. आंधी के आदेश पर पट्टे की पुनः दिनांक 30.08.2022 को जांच की गयी जिसमें पट्टे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में मौजूद होने व रिकॉर्ड की स्थानीय अंकेक्षण एवं ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण भी होते है, इस पट्टे के विरूद्ध में हस्तगत शिकायत के अलावा अन्य कोई मुद्दा उठना सामने नहीं आया एवं जांच रिपोर्ट अनुसार निगरनीधीन पट्टा विधिसम्मत जारी होना पाया गया है। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रायसर के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा बाडे की भूमि का पट्टा लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही में विवादित पट्टे की भूमि आबादी में स्थित होने के संबंध में तत्कालीन पटवारी हल्का से रिपोर्ट करायी गयी। गैर निगरानीकार संख्या 2 के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 5/2008–09 दायर दिनांक 01.01.2009 दर्ज कर दिनांक 20.01.2009 को वार्ड पंचगण की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया, जिसके पश्चात दिनांक 20.02.2009 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना आपत्ति नोटिस दिनांक 20.02.2009 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर गैर निगरानीकार के हक में पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में दिनांक 16.10.2009 को संकल्प संख्या 11 दिनांक 20.06.2009 की अनुपालना में पट्टा संख्या 10 क्षेत्रफल 115.11 वर्गगज जारी किया गया।

1. निगरानीकार द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्यो अनुसार विवादित पट्टे की भूमि राजकीय चिकित्सालय एवं जलदाय विभाग के पास की भूमि है एवं जलदाय विभाग के कार्यालय की भूमि खसरा नंबर 391 की भूमि है। उक्त पट्टे की भूमि वर्तमान में आबादी भूमि है जिसे निगरानीकार द्वारा स्वीकार किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित नियम 140 में आबादी भूमि को परिभाषित किया गया है एवं आबादी भूमि का स्वामित्व व क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही में तत्कालीन पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी ली गयी है एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार विवादित पट्टे की भूमि आबादी भूमि है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

2. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यो अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम से ग्राम सायपुर में राशन कार्ड है एवं ग्राम रायसर का मूल निवासी नहीं होने एवं भूमिहीन नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 158 के तहत रियायती दरों पर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। पंचायती राज नियम 158 के अनुसार आबादी भूमि का कमजोर वर्गो यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं उन्हें रियायती दरो पर 150 वर्गगज तक की भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की जा सकती है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 को पट्टा भूमिहीन होने के आधार पर नहीं दिया जाकर नियम 158 में वर्णित गांव कारीगरो (दस्तकार) होने के आधार पर जारी किया गया है जो नियमों में वर्णित प्रावधानो के अनुकूल है। जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 में उल्लेखित है कि तत्समय दिनांक 08.08.2022 की वोटर लिस्ट, राशन कार्ड में गैर निगरानीकार संख्या 2 का नाम था एवं गैर निगरानीकार नगीना धिसाई का काम करता था एवं गैर निगरानीकार श्रमिक, कारीगर की श्रेणी में था। गैर निगरानीकार द्वारा वोटर लिस्ट, राशन कार्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत कथन उचित प्रतीत नहीं होते है।

3. विचाराधीन प्रकरण में निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कार्यालय पंचायत समिति आंधी द्वारा दो जांच रिपोर्ट की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रथम जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी कैलाश चन्द मीना पं.स. आंधी द्वारा दिनांक 15.07.2022 को भूमि का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी उक्त रिपोर्ट में निगरानीधीन पट्टे को निरस्त योग्य माना गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध गैर निगरानीकार संख्या 2 ने पुनः जांच हेतु प्रद्यान पंचायत समिति आंधी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं प्रद्यान महोदया के निर्देश पर पुनः जांच हेतु पंचायत समिति के विकास अधिकारी, एवं दो सहायक विकास अधिकारीयों द्वारा विवादित पट्टे के संबंध में दिनांक 30.08.2022 को जांच की गयी। जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 अनुसार निगरानीधीन पट्टे के विरूद्ध हस्तगत शिकायत के अलावा अन्य कोई मुद्दा उठना सामने नहीं आया एवं जांच रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन पट्टा संख्या 10 ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार अनुसार जारी होना व राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों अनुसार विधिसम्मत जारी होना पाया गया है। प्रकरण में दिनांक 15.07.2022 को की गयी प्रथम जांच रिपोर्ट एक सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गयी है जबकि द्वितीय जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 पंचायत समिति के दो सहायक विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पं.स. आंधी के द्वारा की गयी है इसलिए प्रथम दृष्टया द्वितीय जांच रिपोर्ट की प्रमाणिकता न्यायोचित प्रतीत होती है।

4 निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अभिकथनो एवं तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियम 158 के तहत जारी किया गया है जबकि विवादित पट्टा नियम 167 के तहत जारी किया गया है इसलिए निगरानीकार द्वारा पट्टा निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

ही गैर निगरानीकार को पट्टा जारी किया गया है। पंचायत राज नियम 167 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जायेगा। इसलिए नियम 167 अनुसार विक्रय विलेख के प्रारूप को निर्धारित किया है। पंचायत राज अधिनियम के नियम 150 लगायत 158 में आबादी भूमि विक्रय के प्रावधान है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उज्र/आपत्ति उचित नहीं है।

5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर तत्कालीन जलदाय विभाग के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं होने बाबत शपथ पत्र कर्मचारी किशन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में किशनलाल सक्षम स्तर पर शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

6. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत कथनो के अनुसार विवादित पट्टे की भूमि सरकारी अस्पताल व जलदाय विभाग की भूमि है एवं निगरानीकार हितबद्व व्यक्ति है। इस संबंध में निगरानीकार द्वारा ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि विवादित पट्टे की भूमि जलदाय विभाग/सरकारी अस्पताल की भूमि है। जांच रिपोर्ट में विवादित पट्टे की भूमि खाली होना एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 अनुसार विवादित भूमि जलदाय विभाग की बाउण्ड्री से बाहर होना पायी गयी है। सरकारी अस्पताल एवं जलदाय विभाग सक्षम विभाग है एवं पट्टे की भूमि से असंतुष्ट होने से वे स्वयं अपने स्तर पर चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है इसलिए निगरानीकार विचाराधीन निगरानी में हितबद्व व्यक्ति प्रतीत नहीं होते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति आंधी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम में निहित विधिक प्रकिया एवं नियमों की पालना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर